उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांकः13999/यूपीरेरा/का.आ./2023–24 दिनांकः 30 अक्टूबर, 2023

कार्यालय आदेश

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) रेगुलेशन्स, 2019 की धारा–8/9 में प्राधिकरण से पत्राचार करने हेतु भाषा की स्थिति निम्नवत नियत की गयी है:–

8. ***The proceedings of Authority shall be conducted in Hindi, provided that the Authority shall allow any person to plead or represents his case in English as well.***
9. ***The authority, at its sole discretion, may accept complaint petitions made in a language other than in Hindi or English, provided that the same is accompanied by a translation thereof in Hindi or English. Provided also that such translation may be dispensed with at the discretion of the Authority.***

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) रेगुलेशन्स, 2019 की धारा–8/9 में नियत व्यवस्था अनुसार प्राधिकरण से पत्राचार एवं अन्य व्यवहार हिन्दी भाषा में किया जायें। यदि आवश्यक समझें तो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद की प्रति प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकते है।

भू–सम्पदा सेक्टर में उपभोक्ताओं के हितों की संरक्षा करने, विवाद के शीघ्र समाधान तथा प्रोमोटर व क्रेता के मध्य हितों का संतुलन बनाये रखने हेतु प्राधिकरण का गठन किया गया है। शिकायतकर्ताओं/प्रोमोटर्स व अन्य हितधारकों द्वारा हिन्दी में पत्राचार करने से आम जन को कार्य पद्धति एवं विषय वस्तु की सम्यक जानकारी होगी। विषय वस्तु की सम्यक जानकारी होने से समस्या की वास्तविक समझदारी एवं समस्या के समाधान हेतु आसान विकल्पों की उपलब्धता होगी। इससे सभी पक्षों को कार्य में सुगमता के साथ ही निवेश एवं संवाद का बेहतर माहौल बनेगा।

उक्त के दृष्टिगत सभी हितधारकों से अनुरोध एवं अपेक्षा है कि रेरा रेगुलेशन के दृष्टिगत रेरा से पत्र व्यवहार हेतु हिन्दी भाषा को प्रयोग किया जायें।

इस आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जायें।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव

SKT

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के अवलोकनार्थ कृपया।
2. समस्त मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के अवलोकनार्थ कृपया।
3. प्रमुख सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
4. वित्त नियन्त्रक उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
5. विधि सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
6. संयुक्त सचिव/उपसचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
7. सहायक निदेशक सिस्टम/सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को उ.प्र. रेरा के वेब–पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. समस्त प्रोमोटर्स /शिकायतकर्ताओ व अन्य हितधारकों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

(उमाशंकर सिंह)
संयुक्त सचिव

SKT